Sir. The power projects which could not be implemented so far due to lack of funds are as follows:—

Name	State	Capacity
1. Barsingsar TPP	Rajasthan	2x120 MW
2. Birsinghpur St. II	M,P.	2x210 MW
3. Pench TPP	-do-	2x210 MW
4. Neyveli (Zero Unit)	Tamil Nadu	1x210 MW
5. Khaparkheda St-II	Maharashtra	2x210 MW
6. Ib Units 3 & 4	Orissa	2x210 MW
7. Potteru HEP	-do-	2x3 MW
8. *Kutch Lignite*	Gujarat	1x70 MW
9. Kolar, Bidar, Jankhandi & Indi (DG sets)	Karnataka	12x6.48 MW
10. Bakreshwar TPP	West Bengal	3x210 MW
11. Amguri CCGT	Assam	9x30 GT + 3x30 ST
12. Tenughat St-II	Bihar	3x210 MW
13. Koel Karo HEP	-do-	4x172.5 + 1x20 MW
14. Chandil HEP	-do-	2x4 MW
15. Visakhapatnam	A. P.	2x500 MW
16. Dhauliganga HEP	U. P.	4x70 MW
17. Srinagar HEP	-do-	6x55 MW
18. Lakhwar Vyasi HEP	-do-	3x100 + 2x60 MW
19. Maneri Bhali HEP	-do-	4x75 MW
20. Largi HEP	H. P.	3x42 MW

(c) Government is consistently making efforts to obtain external assistance for these projects. Private participation is also beinig encouraged in the power sector to achieve additionality of resources.

टिहरी परियोजना के लिये नया पैकेज

1006. श्री वीरेन्द्र जे. शाह :
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1993 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित "पावर मिनिस्ट्री वर्क्स आउट न्यू पैकेज फार टिहरी प्रोजैक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टेहरी परियोजना के निर्माण हेतु राशि प्रदान करने के लिए नए उपाय किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों के अलावा विदेशी ऋणों के जरिए टिहरी परियोजना (4×25 मे.वा.) का क्रियान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है । वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव के साथ-साथ हाइड्रो-प्रोजैक्ट इंस्टीट्यूट, मास्को के नेतृत्व में सप्लाईकर्ताओं के कन्सोर्टियम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं ।

राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

1007. **श्री एम जेठमलानी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजाध्यक्ष समिति ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि देश म विद्युत क्षेत्र का प्लांट लोड फैक्टर कम से कम 58 प्रतिशत होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकतर मामलों में विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्लांट लोड फैक्टर की राष्ट्रीय औसत दर को कायम नहीं रखा जा रहा है ।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न उपक्रमों का प्लांट लोड फैक्टर कितना था ; और

(घ) प्लांट लोड फैक्टर की दर कम होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) विद्युत सम्बंधी समिति जिसे राजाध्यक्ष समिति के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा सिफारिश की गई थी कि प्रणाली के लिए 58% संयंत्र भार गुणक (पी एल एफ) को मानक माना जाना चाहिए परन्तु यह प्रणाली-दर-प्रणाली भिन्न होगा । वर्ष 1992-93 के दौरान 57.1 प्रतिशत औसत अखिल भारतीय पी एल एफ प्राप्त किया गया था ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 57.1 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बेहतर पी एल एफ प्राप्त किया गया ।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों का पी एल एफ विवरण (नीचे देखिए) में दिया गया है ।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणक कम होने के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं:-कोयले की कम आपूर्ति होना, प्रणाली में मांग कम होने के कारण ताप विद्युत यूनिटों को बन्द किया जाना, निधियों सम्बन्धी समस्यायें होना, नियोजित अनुरक्षण हेतु जबरन बन्द किए गए यूनिटों को पुनः चालू करने में अधिक समय लगना आदि ।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों का पी.एल.एफ. (%) दर्शाने वाला विवरण

राज्य बिजली बोर्ड/ उपक्रम का नाम	1992-93
	पीएलएफ (%)
1	2
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	54.0
हरियाणा रा.बि. बोर्ड	49.9
राजस्थान रा. वि. बोर्ड	77.0